न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़)

प्रारूप–ङ.
नियम 7(2) देखिये

—:अनुमति:—

धरमजयगढ़, दिनांक   / 06 / 2025

क्रमांक   / अ.वि.अ. / वा.–1 / 2025

प्रति,

पुरन सिंह पिता हीरासाय
निवासी धरमजयगढ़
तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ0ग0)

विषयः—   **प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।**

—00—

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक **01 / 04 / 2025** को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक **01 / 04 / 2025** को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक **07 / 04 / 2025** एवं वन परिक्षेत्राधिकारी धरमजयगढ़ का दिनांक 13.06.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार हैः— **13 नग सिशु वृक्ष, 13 नग अर्जुन वृक्ष, 05 नग निलगिरी, 7 नग सेमल वृक्ष, में से 05 नग सिशु वृक्ष, 05 नग सेमल वृक्ष, 05 नग अर्जुन वृक्ष की छाती गोलाई का विवरण निम्नानुसार हैः—**

क्र.	वृक्ष की प्रजाति	छाती गोलाई (से.मी. में)
1	सिशु	120
2	सिशु	140
3	सिशु	170
4	सिशु	170
5	सिशु	210
6	सिशु	170
7	सिशु	230
8	सेमल	250
9	सेमल	240
10	सेमल	170

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ग्राम **धरमजयगढ़** प.ह.नं. **56** तहसील **धरमजयगढ़** स्थित भूमि खसरा नंबर 338 / 2 रकबा 0.2060 हे0 भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष **07 नग सिशु वृक्ष, 03 नग सेमल वृक्ष** है, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (कं. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

धरमजयगढ़, दिनांक   / 06 / 2025

पृ. क्रमांक   / अ.वि.अ. / वा.–1 / 2025

प्रतिलिपिः—

1. कलेक्टर जिला रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल धरमजयगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार छाल को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग)